

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 751/2024

अनवान :-

1. जैलाराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
1. अमरसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. कपिल कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. चानणराम पुत्र पेमराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. चिरजी पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. दयाराम पुत्र हेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. प्रीतम सिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
9. बृजा पुत्र हरखा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
10. बलदेव सिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
11. बलराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
12. बलवीर कौर पत्नी गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
13. भोलसिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
14. मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
15. सुरजाराम पुत्र हरखा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
16. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मदन गोपाल उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
17. हरचन्दसिंह पुत्र निधान सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
19. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

वादी

प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 27/08/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 109/87 की कुल 16.1360 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका दर्ज होने से वादी व प्रतिवादीगण का आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं। वादी ने अपने हक हिस्सा की भूमि को समतल व उपजाऊ बना रखा है इसलिए वादी अपने हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावे की रोही मौजा असरजाना तहसील नोहर के खाता स0 30/29 की कुल 8.1570 हैक्ट भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

Rahul

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 3, 14 व 16 की तरफ से अधिवक्ता श्री विजयसिंह कड़वासरा ने जवाब पेश किया की मुताबिक कब्जा काश्त व हक हिस्सा के वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 7 व 16 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जो व शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के उपरान्त भी उपस्थित नही अतः शेष प्रतिवादीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी स0 18 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। अधिवक्ता वादी व प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की साक्ष्य नही करवाना चाहते है वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जावे। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 109/87 की कुल 16.3660 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मदनगोपाल उर्फ मदनलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का - ख0न0 28/1 की 1.264 हैक्ट, ख0न0 28/3 की 0.759, 29/1 की .152 पूर्वी भाग, 29/3 की .102 पूर्वी भाग कुल 2.277 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बीओबी शाखा नोहर - खसरा न. 215 की 0.253 हैक्ट बा.प्रथम
3. कपिल कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट सा0 देह ख0न0 199 की 0.379 हैक्ट बारानी प्रथम
4. जैलाराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का- ख0न0 215 0.189 हैक्ट, 216 की 1.214 हैक्ट कुल 1.403 हैक्ट बारानी प्रथम
5. जेलाराम, अमरसिंह, बलराम पि0 पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार- ख0न0 380 की 0.417 हैक्ट गै0मु0 मकान
6. अमरसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का- ख0न0 216 की 1.403 हैक्ट बारानी प्रथम
7. बलराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार- ख0न0 196 की 1.834 हैक्ट, 197 की 0.504 हैक्ट, 199 की 0.608 हैक्ट कुल 2.946 हैक्ट बारानी प्रथम
8. हरचन्द सिंह पुत्र पुत्र निधान सिंह 0.170 हैक्ट, भोलसिंह पुत्र गरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट, बलवीर कौर पत्नी गुरबक्श सिंह 0.035 हैक्ट, बलदेवसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट, प्रीतमसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 0.035 हैक्ट, ओमप्रकाश पुत्र गुरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट जाति कुम्हार सिख, चानणराम पुत्र पोकरराम 2.038 हैक्ट, चिरंजी पुत्र हरखाराम 1.081 हैक्ट, दयाराम पुत्र हेतराम 1.081 हैक्ट, बृजा पुत्र हरखा 0.828 हैक्ट, सुरजाराम पुत्र हरखाराम 1.081 हैक्ट जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन चानणराम हि0 आरएमजीबी टोपरिया

अधिवक्ता राहुल
नोहर

चिरजी, दयाराम, सुरजाराम हि० पीएनबी शाखा थालडका - ख०न० 197 की 0.761 हैक्ट, 215 की 0.320 हैक्ट, 216 की 0.320 हैक्ट, 29/1 की 0.596 हैक्ट, 29/3 की 0.440 हैक्ट 199 की 2.806 हैक्ट कुल 6.454 हैक्ट बाराणी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राहुल श्रीवास्तव L.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 751/2024

अनवान :-

1. जेलाराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
1. अमरसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
2. ओमप्रकाश पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
3. कपिल कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
4. चानणराम पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
5. चिरजी पुत्र हरखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
6. दयाराम पुत्र हेतराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
7. काशीराम पुत्र रामप्रताप जाति नाई निवासी भगवान तहसील नोहर।
8. प्रीतम सिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
9. बृजा पुत्र हरखा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
10. बलदेव सिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
11. बलराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
12. बलवीर कौर पत्नी गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
13. भोलसिंह पुत्र गुरबक्ससिंह जाति कुम्हारसिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
14. मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
15. सुरजाराम पुत्र हरखा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी भगवान तहसील नोहर।
16. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मदन गोपाल उर्फ मदनलाल जाति जाट निवासी भगवान तहसील नोहर।
17. हरचन्द्रसिंह पुत्र निधान सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी भगवान तहसील नोहर।
18. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
19. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 751 सन 2024 निर्णय दिनांक 27/08/2025

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा भगवान तहसील नोहर के खाता स0 109/87 की कुल 16.3660 हैक्ट भूमि हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र मदनगोपाल उर्फ मदनलाल जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का - ख0न0 28/1 की 1.264 हैक्ट, ख0न0 28/3 की 0.759, 29/1 की .152 पूर्वी भाग, 29/3 की .102 पूर्वी भाग कुल 2.277 हैक्ट बारानी प्रथम
2. मनोज कुमार पुत्र हरिसिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन बीओबी शाखा नोहर - खसरा न. 215 की 0.253 हैक्ट बा.प्रथम
3. कपिल कुमार पुत्र हरसिंह जाति जाट सा0 देह ख0न0 199 की 0.379 हैक्ट बारानी प्रथम

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4. जैलाराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का-
ख0न0 215 0.189 हैक्ट, 216 की 1.214 हैक्ट कुल 1.403 हैक्ट बारानी प्रथम
5. जैलाराम, अमरसिंह, बलराम पि0 पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार- ख0न0 380
की 0.417 हैक्ट गै0मु0 मकान
6. अमरसिंह पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा थालड़का-
ख0न0 216 की 1.403 हैक्ट बारानी प्रथम
7. बलराम पुत्र पूर्णराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार- ख0न0 196 की 1.834 हैक्ट, 197
की 0.504 हैक्ट, 199 की 0.608 हैक्ट कुल 2.946 हैक्ट बारानी प्रथम
8. हरचन्द सिंह पुत्र पुत्र निधान सिंह 0.170 हैक्ट, भोलसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट,
बलवीर कौर पत्नी गुरबक्श सिंह 0.035 हैक्ट, बलदेवसिंह पुत्र गुरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट,
प्रीतमसिंह पुत्र गुरबक्श सिंह 0.035 हैक्ट, ओमप्रकाश पुत्र गुरबक्शसिंह 0.035 हैक्ट जाति
कुम्हार सिख, चानणराम पुत्र पोकरराम 2.038 हैक्ट, चिरंजी पुत्र हरखाराम 1.081 हैक्ट,
दयाराम पुत्र हेतराम 1.081 हैक्ट, बृजा पुत्र हरखा 0.828 हैक्ट, सुरजाराम पुत्र हरखाराम
1.081 हैक्ट जाति कुम्हार साकिन देह खातेदार रहन चानणराम हि0 आरएमजीबी टोपरिया
चिरजी, दयाराम, सुरजाराम हि0 पीएनबी शाखा थालड़का - ख0न0 197 की 0.761 हैक्ट,
215 की 0.320 हैक्ट, 216 की 0.320 हैक्ट, 29/1 की 0.596 हैक्ट, 29/3 की 0.440
हैक्ट 199 की 2.806 हैक्ट कुल 6.454 हैक्ट बारानी प्रथम

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन
आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में
अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी
बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में
उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय
नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 27/08/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा
से जारी की गई।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर